

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर (म0प्र0)


दूरभाष क्रमांक 07543-221382 E-Mail Add- dcourtasn@aij.gov.in

// रैक्स क्रय हेतु निविदा आमंत्रण सूचना //

निविदा जारी करने का दिनांक 16.11.2021 निविदा प्राप्ति की अंतिम दिनांक 23.11.2021

न्यायिक जिला स्थापना अशोकनगर हेतु वित्त वर्ष 2021-22 में अभिलेखागार का रिकार्ड रखने के लिये 40 स्लॉटेड ऐंगल रैक्स साईज 8'X3'X18" (With 8 Self) क्रय किया जाना है।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म.प्र.) हेतु रैक्स क्रय बावत् सीलबंद लिफाफों में निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं। इच्छुक व्यापारी/ विक्रेता/निर्माता अपनी निविदायें सीलबंद कर पूर्ण जानकारी सहित कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर में आवक जावक शाखा में दिनांक की शाम 05:00 बजे तक मय सैंपल प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदायें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के नाम से प्रस्तुत की जायें। उक्त रैक्स के क्रय मूल्य के साथ जी.एस.टी. का निविदा में पृथक से उल्लेख किया जाना आवश्यक है, साथ ही कंटलॉग भी निविदा के साथ प्रस्तुत करें। निविदा की शर्तें एवं सामग्री की संपूर्ण जानकारी माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in के टेंडर लिंक पर एवं जिला न्यायालय अशोकनगर की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in के टेंडर लिंक पर उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती हैं।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर (म0प्र0)

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर (म0प्र0)


दूरभाष क्रमांक-07543-221382 E-MAIL Add. dcourtasn@aij.gov.in

:: निविदा शर्तें ::

वर्ष 2021-22 के लिए संलग्न रैक्स के लिए निविदायें अंतिम तिथि 23.11.2021 को सायं 05:00 बजे तक कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर मध्यप्रदेश में निम्न शर्तों के अंतर्गत आमंत्रित की जाती हैं :-

1. सील बंद लिफाफे में निविदायें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के नाम से दिनांक 23.11.2021 को सायं 05:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये।
2. लिफाफे पर स्पष्ट रूप से रैक्स प्रदाय हेतु निविदा लिखा जाना चाहिये।
3. नियत समयावधि के पश्चात निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. आदेशानुसार तैयार रैक्स प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अशोकनगर के स्टोर रूम तक पहुंचाने का समस्त उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर को यह अधिकार होगा कि, बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को निरस्त किया जा सकता है।
6. निविदा में रैक्स के उत्पादक/कंपनी का नाम, साईज, नाप, तौल आदि का विवरण देना अनिवार्य होगा।
7. प्रदाय की गई रैक्स कोटेशन अनुसार नहीं होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की होने की दशा में ऐसी सभी सामग्री निविदाकर्ता को अपने स्वयं के व्यय पर वापस उठानी होगी तथा निविदा में दर्शित अनुसार सामग्री अतिशीघ्र प्रदाय करनी होगी।
8. निविदा की दरें दिनांक 31.03.2022 तक मान्य होगी।
9. निविदाकर्ता निविदा के साथ वाणिज्य कर विभाग व जी.एस.टी. रिटर्न के वैध व प्रभावी पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। केवल ऐसे निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत सीलबंद निविदाओं पर ही विचार किया जायेगा जो वाणिज्य कर व जी.एस.टी. के बकायादार न हो जिस संबंध में निविदा में विशेष उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
10. रैक्स के नमूने/सेम्पल निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. निविदा की किसी भी शर्त के भंग होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. सभी रैक्स की दरें उस पर देय समस्त करों (जी.एस.टी.) सहित दी जावें।
13. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

14. यदि निविदा प्रस्तुति की अंतिम तिथि अथवा निविदा खुलने की तिथि को अवकाश घोषित होता है तो वह निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जावेगी।
15. निविदा आवेदन पत्र मय शर्तों एवं रेक्स तथा रूपये 1000 की राशि शासन के हैड 0070-01-800-0000 में जमाकर चालान की मूल प्रति कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर में प्रस्तुत की जायेगी तथा उक्त राशि किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी। जिन निविदाओं के साथ उक्त राशि का चालान संलग्न नहीं होगा, उनपर विचार नहीं किया जावेगा।
16. विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था द्वारा आगामी वर्ष 2021-22 के लिये सुरभा निधि के रूप में रेक्स/सामग्री हेतु राशि रूपये 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) की एफ.डी.आर (एक वर्ष की) जमा करानी अनिवार्य है।


जिला रजिस्ट्रार
कार्या-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर (म0प्र0)

दूरभाष क्रमांक-07543-221382 E-MAIL Add. dcourtasn@aij.gov.in

:: निविदा आवेदन पत्र ::

1. विक्रेता/व्यापारी/निर्माता
संस्था का नाम एवं पता
2. दूरभाष नंबर/मोबाइल नंबर
3. विक्रेता/व्यापारी/निर्माता
संस्था के मालिक का नाम
4. विक्रेता/व्यापारी/निर्माता
संस्था का पंजी./जी.एस.टी.
क्रमांक
5. क्या विक्रेता/व्यापारी/निर्माता
संस्था मुरैना की अधिकृत
संस्था है ? यदि हाँ तो विवरण
दे।
6. यदि अधिकृत विक्रेता/व्यापारी
/निर्माता संस्था हो तो प्रमाण
7. पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
क्या शासन ने विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था
को सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु अयोग्य घोषित
किया है ? यदि हाँ तो विवरण दे।
8. विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का खाता
क्रमांक
9. विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का खाता
क्रमांक
10. विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था के
बैंक व शाखा का नाम एवं आईएफएसडी
कोड

नोट - विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था द्वारा आगामी वर्ष 2021-22 के लिये सुरक्षा निधि के रूप में रेक्स/सामग्री हेतु राशि रुपये 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की एफ.डी.आर. (एक वर्ष की) जमा करानी अनिवार्य है।

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर